

फर्द अहकाम

खंडा

बनाम

जीपी

नाम न्यायालय

केस संख्या

126/2016

T.I

| क्रम संख्या | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|-------------|---------------------------|--|-------------|
| | 01/04/21 | वधुपुत्र पत्रावली गत साई शानुसंग दिनांक 01/04/21 को पेश की | |
| | 01/05/21 | प्रसादरित कोर्ट में प्रार्थना पत्र है। अतः अज्ञात कार्यवाही हेतु दिनांक 01/05/21 को पेश हो | |
| | 01/06/21 | प्रसादरित कोर्ट में प्रार्थना पत्र है। अतः अज्ञात कार्यवाही हेतु दिनांक 01/06/21 को पेश हो | |
| | 01/07/21 | प्रसादरित कोर्ट में प्रार्थना पत्र है। अतः अज्ञात कार्यवाही हेतु दिनांक 01/07/21 को पेश हो | |
| | 01/08/21 | प्रसादरित कोर्ट में प्रार्थना पत्र है। अतः अज्ञात कार्यवाही हेतु दिनांक 01/08/21 को पेश हो | |
| | 05/08/21 | वधुपुत्र पत्रावली गत साई शानुसंग दिनांक 05/08/21 को पेश की | |
| | 06/10/21 | भाजें चंद्र पत्रावली प्रशासन ग्रामों के संग आदिवासी 2021 कोर्ट में प्रार्थना पत्र है। अतः अज्ञात कार्यवाही हेतु दिनांक 06/10/21 को पेश हो। अतः उक्त का जवाब क्विंट को पेश किया जा रहा है। मुख्य वाद प्रशासन द्वारा निवेदन का ही मुख्य वाद जवाब में प्रस्तुत है। प्रकरण में अज्ञात अज्ञात निवेदन जारी नहीं की गई है। प्रकरण में राज्य | |

फर्द अहकाम

न्यायालय


सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) चौमू

शुद्ध बनाम गोपी

मुकदमा संख्या / वर्ष

: 126 / 20 16

| क्र. सं. | दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|----------|---------------------------|---|-------------|
| | | <p>न्यायालय उन्निमत में अग्रव्याप्ति निषेधाज्ञा जारी करवा चुनिस नहीं समझते हैं। अब प्रकरण में अग्रव्याप्ति निषेधाज्ञा जारी करने से पार जाहुलता बढने का अंश रहता है। प्रकरण में मुख्यपार में साक्ष्य उपशान्त शुभावशुल व मैट्रिड पर निष्पत्ति किया जाना है। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अध्यक्ष अग्रव्याप्ति निषेधाज्ञा जारी किया जाता है। पत्रावली फैलल शुमार होकर रजि नम्बर से कम ही तय्या मुख्य पार के साथ रहे।</p> | |


 सहायक कलेक्टर
 (फास्ट ट्रैक)
 चौमू (जयपुर)